पत्र संख्या–6/योजना–01–18/2016गृ0आ0...../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

दिनांक अप्रील, 2016

विषयः– **"बिहार राज्य में महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रत्येक थानें में 2 शौचालय एवं 2 स्नानागार के निर्माण की योजना" के कार्यान्वयन की रूप रेखा से संबंधित मार्गदर्शिका।**

राज्य सरकार द्वारा निकट पूर्व में महिलाओं के लिए पुलिस संगठन में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में 4000 से ज्यादा महिला सिपाहियों की नियुक्ति हुई है। इन नियुक्तियों के साथ वर्तमान में महिला सिपाहियों की संख्या बल 6000 से ज्यादा हो गयी है। इनके प्रशिक्षण एवं तत्पश्चात् इन महिला कर्मियों की राज्य के सभी थानों/कार्यालयों में पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है, परन्तु पूर्व से महिला सिपाहियों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप महिला शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था नहीं है।

2. <u>योजना का उद्देश्य</u>

इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक थानों में महिलाओं के लिए कम से कम 2 शौचालय एवं 2 स्नानागार सुरक्षित स्थल पर तत्काल निर्मित किया जाना है।

3. <u>योजना का चयन</u>

I. राज्य के सभी थानों में महिलाओं के लिए 2 शौचालय एवं 2 स्नानागार की व्यवस्था की जानी है।

II. राज्य के वैसे थाने जिनके अपने भवन है या निर्माणाधीन है, वहाँ इस कार्य का निर्माण किया जाना है एवं वैसे थाने जो किराये के भवनों में चल रहे है वहाँ भवनों के मालिक से उक्त निर्माण को कराया एवं उसका अतिरिक्त किराया दिया जायेगा।

III. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा विभिन्न तरह के महिला शौचालय/स्नानागार का मॉडल, रेखाचित्र, प्रारंभिक नक्शा, लागत का प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न स्थलों पर मिट्टी, जलवायु आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है, ताकि सभी जिलों के सभी थानों के लिए कोई न कोई मॉडल उपयुक्त हो जाए। इस पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता के द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिया गया है। निर्माण कार्य इन्हीं मॉडल में से किसी एक को थाने की आवश्यकतानुसार चयन कर कराया जायेगा।

4. <u>प्रबंधन, परियोजनाओं की स्वीकृति एवं निधि जारी करना</u>

I. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक इस कार्य की पूरी रूप–रेखा अपने अधीनस्थ थानाध्यक्षों को समझायेंगे एवं सतत तौर पर इसके क्रियान्वयन पर अपनी निगरानी रखेंगे।

II. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता के द्वारा विभिन्न मॉडलों एवं उनके प्राक्कलन पर प्राप्त तकनीकी अनुमोदन सभी थानों में उक्त शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन समझा जायेगा और अलग–अलग स्थलवार तकनीकी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

III. राज्य सरकार के द्वारा उपर्युक्त विभिन्न मॉडलों के परीक्षण के पश्चात दिये गये अनुमोदन को प्रशासनिक अनुमोदन समझा जायेगा एवं इसे प्रत्येक थाने में उक्त शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन समझा जायेगा और अलग–अलग स्थलवार प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

IV. प्रत्येक थानाध्यक्ष के पदनाम से एक बैंक खाता खोला जायेगा एवं निर्माण से संबंधित राशि राज्य स्तर से सीधे उक्त बैंक खाते में भेजी जायेगी। राज्य सरकार, पुलिस भवन निर्माण निगम को राशि उपलब्ध करायेगी, जिसे निगम द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संबंधित थानों के थानाध्यक्षों के उक्त बैंक खाते में भेजा जायेगा। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम निधि प्रेषित करने वाली एजेंसी होगी और थानाध्यक्ष ही कार्यकारी एजेंसी की भूमिका निभायेंगे।

5. <u>योजनाओं का कार्यान्वयन</u>

I. इस निर्माण कार्य को विभागीय अभिकरण के रूप में थानाध्यक्ष के द्वारा कराया जायेगा। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु थानाध्यक्ष अपने थाने की आवश्यकता के अनुरूप बिहार पुलिस निर्माण निगम के द्वारा बनाये गये विभिन्न मॉडलों में से उपयुक्त मॉडल का चयन कर निर्माण कार्य करायेंगे।

II. शौचालय एवं स्नानागार के लिए पानी की व्यवस्था हेतु यथासंभव पूर्व से अधिष्ठापित बोरिंग का उपयोग करते हुए Overhead Tank का निर्माण किया जाना है। जहाँ पूर्व से पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बोरिंग करा कर पानी की व्यवस्था की जानी है।

III. निगम के अभियंता सतत आधार पर इस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं संतुष्ट हो लेंगे कि निर्माण की गुणवत्ता मॉडल एवं प्राक्कलन के अनुरूप है। निगम इस कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कनीय अभियंता को योग्यता धारी व्यक्तियों की सेवा मानदेय पर ले सकेगा।

IV. परियोजना के सफल समापन के पश्चात उक्त कनीय अभियंता अंतिम रूप से मापी पुस्तिका की जाँच कर परियोजना की सफल समाप्ति का प्रमाण देंगे तथा कार्य पूर्ण होने का फोटोग्राफ भी भेजेंगे।

V. थानाध्यक्षों के बैंक खाते में प्राप्त अग्रिम के विरूद्ध राशि खर्च की जायेगी एवं कार्य समापन के दौरान समायोजन हेतु थानाध्यक्ष अभिश्रव (Voucher) एवं मस्टर रौल का संधारण करेंगे।

VI. निर्माण कार्य निधि की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव,
गृह विभाग,

ज्ञाप सं0:–6/योजना–01–18/2016गृ0आ0.....3040...../पटना, दिनांक 13 अप्रील, 2016

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.4.16
सरकार के प्रधान सचिव,
गृह विभाग,